मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक एफ 7–28/2009/आ0प्र0/एक   भोपाल, दिनांक 02 नवम्बर, 2017

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।

विषयः– अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में सम्पन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) के लिए निर्धारित मापदण्डों में संशोधन।

संदर्भः– सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 7–18/2000/आ0प्र0/एक, दिनांक 25.02.2003, 28.07.2006, एफ 7–28/2009/आ0प्र0/एक, 02.06.2009, 25.08.2012, 02.07.2013

::::::

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 7–18/2000/आ0प्र0/एक, दिनांक 25.02.2003 की कंडिका–6 में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए क्रीमीलेयर की आय सीमा रू0 2.00 लाख निर्धारित की गई थी। तत्पश्चात भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के परिपेक्ष्य में सामान्य प्रशासन विभाग के समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 28 जुलाई, 2006 द्वारा क्रीमीलेयर की आय–सीमा रू0 2.00 लाख से बढ़ाकर रू0 02.50 लाख निर्धारित की गई थी। तदोपरांत विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ 7–28/2009/आ0प्र0/एक, दिनांक 02 जून, 2009 द्वारा आय–सीमा 02.50 लाख से बढ़ाकर रू0 04.50 लाख निर्धारित की गई है। तत्पश्चात भारत सरकार द्वारा आय–सीमा रू0 04.50 लाख प्रतिवर्ष से बढ़ाकर रू0 06.00 लाख प्रतिवर्ष किए जाने के फलस्वरूप सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 02 जुलाई, 2013 द्वारा आय–सीमा बढ़ाकर रू0 06.00 लाख प्रतिवर्ष निर्धारित की गई है।

2. भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालयीन ज्ञापन No.36033/1/2013-Estt (Res.) दिनांक 13 सितम्बर, 2017 द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में सम्पन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) का

....2

निर्धारण करने के लिए आय–सीमा रू0 06.00 लाख प्रतिवर्ष से बढ़ाकर रू0 08.00 लाख निर्धारित किया गया है।

3. अतः राज्य शासन द्वारा यह निर्णय किया गया है कि मध्यप्रदेश राज्य में भी अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में सम्पन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) के निर्धारण हेतु वर्तमान निर्धारित आय–सीमा रू0 06.00 लाख प्रतिवर्ष से रू0 08.00 लाख प्रतिवर्ष निर्धारित की जाए। तदनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 7–18/2000/आ0प्र0/एक, दिनांक 25 फरवरी, 2003 की कंडिका–6 के कॉलम–3 के स्थान पर निम्नानुसार प्रावधान प्रतिस्थापित किया जाता हैः–

कंडिका–6 कॉलम नंबर– 3

> "उन व्यक्तियों के पुत्र एवं पुत्री (पुत्रियां) जिनकी लगातार तीन वर्षों तक की कुल वार्षिक आय रू0 08.00 लाख (रूपये आठ लाख मात्र) या उससे अधिक है अथवा धनकर अधिनियम में यथा निर्धारित छूट सीमा से अधिक की सम्पत्ति रखते है"

4. संशोधित मापदण्ड यह परिपत्र जारी होने के दिनांक से लागू माने जावेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(के.के.कातिया)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0क्रमांक एफ 7–28/2009/आ0प्र0/एक भोपाल, दिनांक 02 नवम्बर, 2017

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल
3. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल
5. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर
6. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, म0प्र0 भोपाल
7. सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल
8. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर

9. मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक म0प्र0 भोपाल
10. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल
11. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल
12. अध्यक्ष, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश भोपाल
13. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर/ग्वालियर/जबलपुर
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय
15. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
16. उप सचिव/अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/पुस्तकालय

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग